

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX
IN
OBJECTION REPORT

IN
EA-24 OF 2021
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 989 OF 2019

Ved Prakash Aggrawal Applicant.

VERSUS

Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad |

.....Respondents

SL NO	Particulars	Page	ANNEXURE
1.	OBJECTION REPORT WITH AFFIDAVIT	1-8	
2.	<u>ANNEXURE-1</u> COPY OF THE JOINT TAKEN ACTION REPORT ON 11/12/2019	9 TO12	1.
3.	<u>ANNEXURE-2</u> COPY OF THE TAKEN ACTION REPORT FILED BY THE UPPCB ON 06/10/2020	13-52	2.
4.	<u>ANNEXURE-3</u> COPY OF THE TAKEN ACTION REPORT FILED BY NAGAR NIGAM GHAZIABAD	53-56	3
5.	Photo Copy of Aadhar	57	
6.	Proof of service	58	

Dated: 13/01/2022

Applicant

In Person

(Ved Prakash Aggarwal)

C-16, Sector 3, Chiranjiv Vihar ,

Ghaziabad 201002 |

Email ved_aggarwal016@yahoo.co.in

Mobile No 9873084288

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL , NEW DELHI.

OBJECTION REPORT FILE BY THE APPLICANT IN RESPECT OF Action taken report filed by the Learned Counsel Shri Vaibhav Sharma . On behalf of the Municipal Commissioner , Nagar Nigam Ghaziabad In E.A 24 of 2021 In OA -989 of 2019 . |

In

EA-24 of 2021 In ORIGINAL APPLICATION No 989 Of 2021

IN THE MATTER OF :

Ved Prakash Aggarwal

.....Applicant

v/s

Municipal Commissioner , Ghaziabad Nagar Nigam & Oes..

.....Respondents .

MOST RESPECTFULLY SHOWETH :

PRELIMINARY OBJECTIONS / SUBMISSIONS:

1. That the Action taken report filed by the learned counsel shri Vaibhav Mishra on behalf the respondent (Municipal Commissioner, Ghaziabad) on dt 09/12/2021 In EA-No 24 of 2021 In 989 of 2019 is a fake, meaningless & misleading.
2. That In compliance of the order passed by the Hon`ble National green tribunal ,New Delhi in OA , No -989 of 2019 on dt 10/10/2019 , Joint Inspection report/ Action Taken report has been filed by UPPCB AND Nagar Nigam Ghaziabad on dt 11/12/2019. Wherein at para 6 of the said **Action Taken report** :- UPPCB and Nagar Nigam Ghaziabad has reported that, :-

`` The Nagar Nigam, Ghaziabad have been issuing notices to the dairy perators to shut down their dairies operating in

Chiranjiv Vihar and also, imposing monetary penalties for illegal operation of dairy farms. A list of such dairies which were issued notices/penalties is provided at ANNEXURE-II
The Nagar Nigam , Ghaziabad has also lodged FIR on 3/12/20219 , to the Police Station , Kavinagar for necessary actions against the nine dairy farm operators under the Public Property Damage Control Act. 1984 and Air (Prevention and Control) Act, 1981 `` is being filed herewith /and marked as **ANNEXURE NO.-1**

3. That in connection with the above it is highlighted that though the FIR was lodged for removal of illegal dairies in Chiranjiv Vihar Sector -2 and 3 , Ghaziabad on 03/12/2019 , the UPPCB and Ghaziabad Nagar Nigam have neighter taken any initiative not have persuaded the case any more during this long two years.
4. That the order passed by the Hon`ble National green tribunal ,New Delhi in OA -989 of 2019 on dt 14/08/2020 , In compliance of the above mentioned order , Action taken report filed by Regional office , U.P. Pollution Control Board , Ghaziabad the In place of U.P. Pollution Control Board on dt 06/10/2020.
5. That the Regional office , U.P. Pollution Control Board , Ghaziabad had sent its recommendation to Chief Environment officer , circle

-1, U.P. Pollution Control Board , Lucknow for levying penalty against illegal dairy operators. Vide letter No 1278 /NGT/OA-989/19/2020 dated 06/10/2020.

6. That the Hon`ble National Green Tribunal , new Delhi had passed order vide OA No. 989 of 2019 on dt 14/04/2020 Para 4 that

`` We are of the view that the state Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in Oa 46/2018 Nuggehalli Jayasimha V. Gorverment of Delhi .``

1. That the Applicant has received a copy of action taken report on dt 06/10/2020 in compliance of the order passed by the Hon`ble National Green tribunal , New Delhi on 14/08/2020 In OA No. 989 of 2019, submitted by the Shri. B.K. Singh , Assistant Environmental Engineer , regional office, UPPCB, Ghaziabad, assuming the basis of minimum environmental compensation of Rupees 5000 per day against each Dairy Farm / Gaushala, for the period of 33 days with effect from dated 04/09/2020 to the date of publication in the newspaper dated 6/10/2020, amounting to Rs. 1,65,000 for 14 illegal dairy operators , is being filed herewith /and marked as **ANNEXURE NO.-2**

7. That the recommendation of penalty by the U.P. Pollution Control Board , Ghaziabad to the Chief Environment officer , circle -1, U.P. Pollution Control Board ,Lucknow is neither sufficient nor can

be amounted to compliance of the order of the National Green Tribunal ,New Delhi .

8. That for the compliance of the order in OA, No -989 of 2019 dated 10/10/2019 passed by the Hon`ble National green tribunal ,New Delhi , the applicant had filed EA-24 of 2021 on dt 30/08/2021.

That the Applicant in compliance of NGT order dt 10/10/2019 has received a Copy of action taken report submitted by the learned counsel Shri Vaibhav Mishra on behalf of Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad on dt. 09/12/2021. In the said action taken report the Safai Nayak , Shri Mahinder Singh has reported that Station house Officer, PS Kavi Nagar Ghaziabad may initiate legal action against the illegal dairy operators on dt 30/11/2021 whereas on dt 04/12/2021 the Sanitary officer , Nagar Nigam , Ghaziabad is requesting the Station house Officer, PS Kavi Nagar Ghaziabad for lodging FIR against the illegal dairy operators, though the same was already filed on 3/12/2019 i.e. more than two years ago . it appear that the Nagar Nigam officials not at all serious for compliance NGT order and the forgot what they have done already . and are only interested in passing of buck to other authority rather than taking fruitful action with the police force available with them . is being filed herewith /and marked as **ANNEXURE NO.-3**

9. That in view of position stated at para 8 and 9, its sure that the two action taken reports are either fraudulent or the are mutually self contradictory.
10. That the applicant is an ordinary citizen of India and had spend several thousand of rupees to get the justice against the inaction of Nagar Nigam Ghaziabad and pollution control board, Ghaziabad for their mandated work that is to control environmental pollution by illegal dairy operators. Such inaction has forced me to knock the door of Hon`ble NGT and am regularly spending

money whenever I knock the door of the NGT . Despite that , I am very sorry to say that my complaint against environmental crisis before NGT is unresolved and because of this I am constantly being humiliated and my life is being endangered because of the complaint against illegal dairy operators who are in my neighborhood. It is my sincere appeal and I would urge the Hon`ble NGT to take stern and time bound action to save my personal life and the life other co-resident of chiranjiv vihar ghziabad by protecting the environment of the area .

11. That I am a retired person fully on my children That is why , I am suffering financial crisis due to raising this environmental issue for a very very long time in view of this i would again appeal to Hon`ble NGT to issue final order with capital punishment to Respondents in case the issue is not resolved within the fixed time frame , as determined by Hon`ble NGT and direct the Respondents to pay the Applicant , the cost of the litigation in full.
12. That the respondents to impose the penalty U/s 26 of the NGT Act. 2010 for their failure in non comp lying of the order passed by the Hon`ble NGT In OA 989 of 2019 on dated 24/01/2020 .

Grounds

- a) Because failure in non complying of the order passed by the Hon`ble NGT In OA 989 of 2019 on dated 24/01/2020 .
- b) *Because UPCB , Ghaziabad only recommended to superior officers for laying penalty impose to illegal dairy operators , neither sufficient nor can be amounted to compliance of the order of the National Green Tribunal ,New Delhi .*
- c) Because its sure that the two action taken reports are either fraudulent or the are mutually self contradictory.

Prayer

- i) That the as originally prayed and , Impose the penalty U/s 26 of the NGT Act. 2010 for their failure in non comp lying of the order passed by the Hon`ble NGT In OA 989 of 2019 on dated 24/01/2020

Place Ghaziabad

Applicant

Dated : 13/01/2022

Ved Prakash Aggarwal

(In Person)

C-16, Sector -3, Chiranjiv Vihar,

Ghaziabad 201002

Mobile No 9873084288

Ved_aggarwal016@yahoo.co.in


 BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

 OBJECTION APPLICATION AGAINST
 FOR FILED THE REPLY ON BEHALF THE RESPONDENT ON
 DT.09/12/2021 BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL .

In
E.A 24 of 2021

In
Original Application 989 of 2019

 **Ved Prakash Aggrawal**

...Applicant.

Versus

Municipal Commissioner , Nagar Nigam Ghaziabad |

AFFIDAVIT

I, Ved Prakash Aggarwal aged about 56 years 6 Months , S/o Late Sh. Raghubar Dayal R/o C-16, Sector 3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad – 201002, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Applicant in above mentioned matter and well conversant with the facts of the case and hence am competent to swear to this affidavit in support of the accompanying Application.
2. That I have gone through the contents of the accompanying application which has been drafted by me & I am submitting in person that the same are true and correct to the best of my knowledge and belief and are based on the records made available.
3. That the annexure. If any the true copies of their respective originals.

VERIFICATION

DEPONENT

Verified at Ghaziabad on this day i.e. 12-01-2022 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Place : Ghaziabad

Date : 12/01/2022

August

DEPONENT



ATTESTED 12/1/2022
Certified that the contents of the
Affidavit are true
MIKESH LAL NAYAK SHARMA
Notary Ghaziabad 12/1/2022

ANNEXURE-1

9

Joint Inspection Report of Dairy Farms operating in residential colony of Chiranjiv Vihar, Ghaziabad in pursuance of Hon'ble NGT, PB, New Delhi, order in the matter of O.A. No. 989/2019, Ved Prakash Aggarwal Vs Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad

1.0 Background:

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi, vide order dated 10.10.2019 in the matter of O.A. No. 989/2019, Ved Prakash Aggarwal Vs Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad issued the following directions to CPCB, Uttar Pradesh State PCB, District Magistrate, Ghaziabad and the Municipal Commissioner, Ghaziabad:

"...Before we proceed further, we find it necessary to require a factual and action taken report to be furnished by the CPCB, Uttar Pradesh State PCB, District Magistrate, Ghaziabad and the Municipal Commissioner, Ghaziabad within one month by email at judicial-ngt@gov.in..."

In pursuance of aforesaid directions, a joint inspection of dairy farms operating in Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad was carried out by the following officials on 7.11.2019:

- i. Shri Ajay Aggarwal, Scientist 'E', CPCB, Delhi
- ii. Shri Ankit Singh, AEE, UPPCB, Ghaziabad
- iii. Shri Jay Prakash Yadav, Tehsildar (Judicial), Sadar, Ghaziabad
- iv. Shri Narendra Kumar, Sanitary-Food Inspector, Nagar Nigam, Ghaziabad
- v. Shri Vinay Prabhakar, Scientist 'B', CPCB, Delhi
- vi. Shri Anshul Sharma, JE, UPPCB, Ghaziabad

Shri K.K. Singh, the representative of the applicant was also present during inspection of the area.

2.0 Status of dairy farms and related observations:

- i. The Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar are the residential colonies. The land owners have rented their premises for the operation of dairy farms. These are small sized dairy farms, may be around 15 to 20, and each having animal population upto 25-30 including adult cows, adult female buffaloes and calves.
- ii. The joint team visited eight dairy farms operating in Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad and unit-wise details/observations are as follow:

Sl. No.	Name of dairy operator and address of dairy farms	Total no. of animals
1.	Shri Ravindra S/o Shri Jagan Singh, Sector-3	21
2.	Shri Jitendra Nagar, Sector-2	17

H

Ajay

Shri K.K. Singh
SFD (LH)

3.	Shri Indra Mohan Sharma S/o Shri Ram Mohan Sharma, A-3, Sector-2	29
4.	Shri Ran Singh, B-1, Sector 2	14
5.	Near plot no. F-87/2, Sector 2	7
6.	Shri Prempal S/o Shri Harpal, Plot no. 445, Sector 2	15
7.	Shri Dinesh S/o Shri Brahm Singh, Besides plot no. 445, Sector 2	17
8.	Shri Tejpal Chaudhery S/o Shri Sheeshpal, Plot no. 240, Sector 2	12

- iii. All the dairy farms are running, illegally, without obtaining any license to operate from local authorities.
- iv. There is no adequate infrastructure to ensure proper disposal of solid wastes and wastewater.
- v. All the dairy farms collect dung from the floor of shed and dump the same to a location near to railway line. Thereafter, municipality transport the same to Dr. Shyama Prasad Mukherji Park, Bulandshahr Road, Industrial Area, Ghaziabad for utilisation as manure in horticulture.
- vi. The floorings of the sheds are not properly paved (impervious) with a wastewater collection system.
- vii. The wastewater generated from the dairy premises is discharged to a common drain located between railway line & Sectors-2 & 3, which ultimately meets the River Hindon. This drain also carries the untreated wastewater from households of Chiranjiv Vihar.
- viii. No electronic meters are installed for water consumption by dairy farms.
- ix. The dairy farms, in general, do not follow the good housekeeping practices like maintaining proper sanitary conditions, protecting dung from unwanted pests/insects in order to minimize odour nuisance.
- x. The floor, feeding, water and air spaces available for each animal, in general, was not adequate for standing, resting, loafing, exercising, feeding, watering and ventilation. A few photographs showing the condition of dairy farms are given at **Annexure-I**.

3.0 Groundwater quality:

During joint inspection, grab samples of groundwater were collected from two bore-wells located in Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar, to assess the impact of wastewater on the groundwater quality. The quality of groundwater is tabulated as follow:

Sl. No.	Parameters	Location-1 (237, Sector-3)	Location-2 (A-1/133, Sector-2)	Standards/permissible limits as per IS-10500-2012	
				Acceptable	Permissible
1.	pH	6.8	6.9	6.5-8.5	No relaxation

2.	Conductivity, $\mu\text{mho/cm}$	798	841	--	--
3.	TDS, mg/l	464	466	500	2000
4.	TSS, mg/l	BDL	BDL	--	--
5.	COD, mg/l	BDL	BDL	--	--
6.	Chloride, mg/l	13	29	250	1000
7.	Fluoride, mg/l	0.4	0.5	1.0	1.5
8.	PO ₄ -P, mg/l	0.17	0.06	--	--
9.	NO ₃ -N, mg/l	19.9	20.2	45	No relaxation
10.	Sulfate, mg/l	BDL	BDL	200	400
11.	Total Coliform, MPN/100 ml	7.8	24 X 10 ²	Shall not be detectable in any 100 ml sample	--
12.	Fecal Coliform, MPN/100 ml	<1.8	330	Shall not be detectable in any 100 ml sample	--
13.	Fecal Streptococci, MPN/100 ml	33	4.5	--	--

No abnormalities (except total & fecal coliform parameters) in monitored groundwater quality (both locations) with respect to drinking water quality standards IS: 10500-2012 were observed.

4.0 Wastewater/sewage quality:

It was observed that the untreated wastewater from households as well as dairy farms of Chiranjiv Vihar finds its way to a drain located between railway line and Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar, which ultimately meets the River Hindon. During joint inspection, grab samples of wastewater were collected from two locations of drain to assess the quality. The quality of waste water is tabulated as follow:

Sl. No.	Parameters	Upstream of drain (Latitude:28.663158N, Longitude:77.467578E)	Downstream of drain (Latitude:28.664547N, Longitude:77.469693E)	The Environmental (Protection) Rules, 1986, Schedule-VI: General Standards for Discharge of Environmental Pollutants in Public Sewers
1.	pH	7.15	7.04	5.5-9.0
2.	COD, mg/l	284	264	-
3.	BOD, mg/l	81	72	350

H

A. Agwal

Ramesh
SFD(LK)

4.	TSS, mg/l	144	133	600
5.	TDS, mg/l	644	508	-
6.	Chloride, mg/l	79	98	-
7.	NO ₃ -N, mg/l	2.15	1.96	-
8.	Sulfate, mg/l	55	64	-
9.	PO ₄ -P, mg/l	3.2	2.9	-
10.	Total Coliform, MPN/100 ml	14 X 10 ⁷	33 X 10 ⁶	-
11.	Fecal Coliform, MPN/100 ml	11 X 10 ⁷	23 X 10 ⁶	-
12.	Fecal Streptococci, MPN/100 ml	23 X 10 ⁶	33 X 10 ⁶	-


It should be ensured by the local authorities that untreated wastewater to be properly treated before disposing-off.


5.0 Recommendations:


As the dairy farms are running, illegally, without obtaining any license to operate from local authorities, the Nagar Nigam should carry out extensive survey of the area and ensure immediate closure of the dairy farms being operated in the residential colonies of Chiranjiv Vihar.


6.0 Action taken:

The Nagar Nigam, Ghaziabad have been issuing notices to the dairy operators to shut down their dairies operating in Chiranjiv Vihar and also, imposing monetary penalties for illegal operation of dairy farms. A list of such dairies which were issued notices/penalties is provided at **Annexure-II**. The Nagar Nigam, Ghaziabad has also lodged FIR on 3/12/2019, to the Police Station, Kavi Nagar for necessary actions against the nine dairy farm operators under the Public Property Damage Control Act, 1984 and Air (Prevention and Control) Act, 1981 (**Annexure-III**).


10/12/2019
Ajay Aggarwal, Scientist 'E',
CPCB, Delhi


Ankit Singh, AEE,
UPPCB, Ghaziabad


J.P. Yadav, Tehsildar,
Sadar, Ghaziabad


Narendra Kumar, SFI,
Nagar Nigam, Ghaziabad

ANNEXURE-2



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

13

संदर्भ संख्या : 1278 /NGT OA-989/19/2020

दिनांक 06/X/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Action taken report in compliance of order dated 14.08.2020 in O.A. No 989/2019 Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 14.08.2020 in O.A. No 989/2019 Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad the action taken report on behalf of U.P. Pollution Control Board is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Action Taken report.

Yours Sincerely


(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

IN THE MATTER OF O.A. No. 989/2019

TITLED

Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad
(As Per Hon'ble National Green Tribunal's Order Dated 14.08.2020)

1. Background

The Hon'ble National Green Tribunal has taken cognizance of an application in which primary grievance was against operation of dairy farms in residential colony of ChiranjivVihar, Ghaziabad. According to the applicant, operation of such dairies is resulting in degradation of environment and causing harm to the public health. There are no safeguards for solid and liquid waste management on account of which there is pollution of air, water and soil.

In view of said complaint, Hon'ble Tribunal had constituted a Joint Committee of CPCB, Uttar Pradesh State PCB, District Magistrate, Ghaziabad and the Municipal Commissioner, Ghaziabad and sought factual and action taken report. The report filed was perused by Hon'ble Tribunal on 24.01.2020 and directed that further action taken report be filed by Ghaziabad Nagar Nigam and State Board. Further, in its order dated 14.08.2020, Hon'ble Tribunal has passed following orders:

"We are of the view that the State Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in O.A. 46/2018, NugehalliJayasimha v. Government of NCT of Delhi."

2. Compliance and Action Taken Report

In compliance to the above order passed by Hon'ble Tribunal, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad had sent a letter to land owning agencies viz a viz, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad Nagar Nigam, U.P. AawaasVikasParishad and Executive Officers of all concerning Nagar PalikaParishads/Panchayats for furnishing list of dairies in their respective areas of jurisdiction, however, report regarding same could not be provided, copy of the said letter is annexed as *Annexure I*.

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow has uploaded 'Guidelines for 15 Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas' on its website and a public notice informing about the said guidelines was issued in news paper on 21.07.2020. Thereafter, Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad has also issued a public notice in this regard published in a National daily on 04.09.2020, copy of same is annexed as *Annexure II*.

In order to verify the status of compliance of dairy farms in Chiranjeev Vihar, Ghaziabad, the site was inspected on 06.10.2020. 14 dairy farms were found operational in the area, inspection report is annexed as *Annexure III* of the report. All operational dairy farms are classified under Category I as per Central Pollution Control Board Guidelines, as number of animals are less than 25. List of Dairy Farm is as below:-

S. No.	Name & Address	No. of Animals
1.	Shri Indra Mohan Sharma, A-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	13
2.	Shri Jitendra Nagar, 392, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	14
3.	Shri Ravindra Putra Shri Jagan Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	15
4.	Shri Hari Kishan, A-1,2,3, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	22
5.	Shri Deepak Chaudhary, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7
6.	Shri Kiranpal Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	7
7.	Shri Brahm Singh, Plot Nambi-5, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
8.	Shri Premveer Singh, B-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	12
9.	Shri Run Singh, B-1, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
10.	Shri Sundar Yadav, C-4, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
11.	Shri Dinesh Kumar, Plot No-447, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	11
12.	Shri Gyanveer, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
13.	Shri Jaipal, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7
14.	Shri Asharam, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7

In view of non-compliances observed, recommendation to initiate action under relevant sections of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and imposition of Environmental Compensation has been proposed by Regional Office, Ghaziabad, copy of same is annexed as *Annexure IV*.

16

The factual and action taken report is hereby put up for your perusal and necessary action please.



(Anshul Sharma)
Junior Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad



(B.K. Singh)
Assistant Environmental Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad

Regional Officer





संदर्भ संख्या : 298/NGT-95/OA No-989/19/2020

दिनांक 23/08/2020

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपायुक्त, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गाजियाबाद।

Mail

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....3. Accordingly, further report has been filed by Municipal Corporation, Ghaziabad inter-alia stating that the matter should be dealt with by the Development Authorities (the Awas Vikas Parishad).

4. We are of the view that the State Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in O.A. 46/2018, Nugehalli Jayasimha v. Government of NCT of Delhi.

5. Let action taken report be filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेरियों का निरीक्षण कर अद्यतन आख्या मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है। डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 631/NGT-95/OA No-989/19/2020 दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों/कर्मिणियल क्षेत्रों स्थित डेरियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे आख्या मा० एन०जी०टी० में ससमय प्रस्तुत की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि वाद की अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 08.10.2020 नियत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आई.एन.एस.-2, सेक्टर-16 वसुन्धरा,

दूरभाष : 0120-4160108

गाजियाबाद-201012

डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक सूचना/निर्देश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 नुगेहल्ली जयसिन्हा बनाम गर्वनमेन्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 एवं दिनांक 20.05.2020 के अनुपालन में डेयरी फार्म/गौशालाओं को पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, जो बोर्ड की वेबसाइट (www.uppcb.com) पर उपलब्ध है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 10.07.2020 के अनुपालन में समस्त डेयरी फार्म (15 या उससे अधिक दुधारु गाय/भैस) एवं गौशालाओं के संचालकों को निर्देश दिये जाते हैं कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त करने हेतु उक्त गाइडलाइन के अनुसार डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

क्षेत्रीय अधिकारी
गाजियाबाद



क्षेत्रीय कार्यालय--उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: .../1263.../सा०पत्रा०-270/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 तथा ओ०ए० संख्या 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद में स्थित गौशाला/डैयरी फार्म के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 46/2018 तथा 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय कुल 14 डैयरी फार्म संचालित पाये गये। जिनकी सूची निम्नवत है:-

क्रम संख्या

डैयरी का नाम एवं पता

1. श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
2. श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
3. श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
4. श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
5. श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
6. श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
7. श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
8. श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
9. श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
10. श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
11. श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
12. श्री ग्यानवीर, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
13. श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
14. श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।

संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित समस्त 14 डैयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गई गाइडलाइन में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त 14 डैयरी फार्म के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108


मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226010

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 तथा ओ0ए0 संख्या 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद में स्थित गौशाला/डैयरी फार्म की निरीक्षण आख्या।

20

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 46/2018 तथा 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय कुल 14 डैयरी फार्म संचालित पाये गये। जिनकी विस्तृत आख्या निम्नवत है:-

1. श्री इन्द्र कुमार शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्द्र मोहन शर्मा, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 13 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




2. श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री असमित, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 14 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



3. श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जगन सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 15 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



4. श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हरि किशन, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 22 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



5. श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हर्ष, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



6. श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं

द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री किरनपाल सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राइटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



7. श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुरवीर सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राइटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



8. श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दीपक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 12 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राइटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



9. श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सोनू प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की

अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



10. श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुन्दर यादव प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



11. श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश कुमार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 11 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



12. श्री ग्यानवीर, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री ग्यानवीर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



13. श्री जयपाल, प्लॉट नं-445,, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जयपाल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



14. श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जितेन्द्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित समस्त 14 डैयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गई गाइडलाइन में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त 14 डैयरी फार्म के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(वीके0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1264 / (2) पदार्थ-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

mail

विषय: श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हर्ष, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1285/101 पत्रा 270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Me!

विषय: श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संघालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।


भवदीय,

[Signature]
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
[Signature]

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226010

श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हरि किशन, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-





मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक:/2020/...../...../270/2020
सेवा में,

दिनांक/...../2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c rogh

श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जगन सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-





मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1267/118-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री असमित, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


06/10/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री इन्द्र कुमार शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्द्र मोहन शर्मा, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1469/2020 पत्रा-270/2020
सेवा में,

दिनांक 05/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।


उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जितेन्द्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1270/स.प्र.पत्र-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गोशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डेयरी फार्म/गोशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गोशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सोनू प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गोशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गोशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गोशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1.221 / 2.1. फा. 27/12/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संबंधित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

०८/१०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जयपाल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक:/2020/सा 47-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।


उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संबंधित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री ग्यानवीर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1222/स.पत्रा-278/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संबंधित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
१/८ २०२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश कुमार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1224/सा-4/27/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
०८/१०/२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुन्दर यादव प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गोशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गोशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गोशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1295/21.पत्र-270/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।


उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दीपक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1276/र.ए.ए. 270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: श्री ब्रहम सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ब्रहम सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुरवीर सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1277/25 फ़ा-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संवास्ति डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संबंधित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
०/० २०२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-18, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री किरनपाल सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

AT NEW DELHI
 EXECUTION APPLICATION No. 24/2021 IN
 ORIGINAL APPLICATION NO. 989 of 2019

IN THE MATTER OF:

Ved Prakash Agarwal

... Applicant

VERSUS

Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal
 Corpn. & Ors. ... Respondents

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE MUNICIPAL
 CORPORATION, GHAZIABAD**

1. This compliance/ Action Taken Report is being filed by the undersigned, who is presently posted as the City Health Officer, Municipal Corporation, Ghaziabad, Uttar Pradesh in compliance of the order dated 24.01.2020 passed by this Hon'ble Tribunal.
2. That in pursuant of the order dated 08.09.2021 passed by this Hon'ble Tribunal, whereby this Hon'ble Tribunal was pleased to observe as under:

"

3. *Though present application is in a way repeat of EA No. 04/2021, the applicant in person states that as per letter dated 21.12.2020 of the State PCB annexed to the application, environmental compensation was imposed against 14 illegal dairies and their particulars are available with the head office of the PCB. The applicant in person states that he will give the particulars of the illegal dairies and furnish the same to the State PCB and Municipal*

Corporation Ghaziabad. We allow the applicant to do so and such information may also be filed before the Tribunal within a week.

4. *In view of above, the State PCB and Municipal Corporation Ghaziabad may take further action, in exercise of their statutory powers against the violators, following due process of law. An action taken report may be furnished to this Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with an advance copy to the alleged violators for their response, if any."*
3. The Zonal Sanitary Officer (Kavi Nagar Zone) along-with the Zonal Food Inspector (Kavi Nagar Zone) of the Municipal Corporation of Ghaziabad went for the inspection of the sites as narrated by the Applicant on 30.11.2021 and have found that the order of this Hon'ble Tribunal is being violated. The true translated copy of the inspection report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1 Pg 6-8**.
4. Therefore, without making any delay, in exercise of the statutory powers vested in the Municipal Corporation of Ghaziabad, the Safai Naik of Kavi Nagar Zone sent a letter to the SHO PS Kavi Nagar, Ghaziabad for lodging the FIR against the defaulters of the order of this Hon'ble Tribunal. The true translated copy of the complaint dated 30.11.2021 sent by the Safai Naik of Kavi Nagar Zone to the SHO PS Kavi Nagar,

Ghaziabad is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2**
Pg 9-19.

5. When the FIR was not lodged against the defaulters, the Zonal Sanitary Officer (Kavi Nagar Zone) along-with the Zonal Food Inspector (Kavi Nagar Zone) of the Municipal Corporation of Ghaziabad again sent a Letter No.3363/ Health/21 dated 04.12.2021 to the SHO PS Kavi Nagar, Ghaziabad for lodging the FIR against the defaulters under the NGT Act, 2010, u/s 31-A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, under relevant provisions of the Urban Solid Waste Management Rules, 2016 & u/s 133 CrPC. The true translated copy of the complaint dated 04.12.2021 sent by the Zonal Sanitary Officer (Kavi Nagar Zone) along-with the Zonal Food Inspector (Kavi Nagar Zone) of the Municipal Corporation of Ghaziabad to the SHO PS Kavi Nagar, Ghaziabad is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-3 Pg 20-25.**
6. Therefore, to ensure the compliance of the order of this Hon'ble Tribunal, the Officers of the Ghaziabad Municipal Corporation sent 2 letters to the SHO PS Kavi Nagar to get the FIR lodged against the defaulters.
7. It is worth mentioning that the Respondents have also, on previous occasions, have sent complaint to the SHO PS Kavi Nagar on date 03.12.2019 and 04.02.2020 against the defaulters. (**ANNEXURE R-4 Pg 26-30.**)
8. That vide GO No. CS/89(1)9-A-3-2003-62 WRIT/2003 dated 05.09.2003, it has been ordered that the jurisdiction to curb and curtail the commercial activities in the residential area


rests with the Development Authority and Awas Vikas Parishad. Therefore, with no statutory power, the present respondents have the limited power to make complaints to the Police Authorities only, whereas the authorities as above have statutory authority to ensure the effective compliance.

9. That it is respectfully submitted that environment and public health are of the prime concerns to the Corporation and it is working with utmost sincerity towards providing healthy, sanitized and safe environment to citizens in pursuance to the Right to Life as enshrined in Article 21 of the Constitution of India.
10. That it is submitted that the Corporation is fully aware of its social responsibility and committed to the cause of preservation of environment and shall take all necessary measures for the implementation of any order that may be passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.
11. Therefore, the above action-taken report along-with annexure is submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal and further directions in this regard.

Through Counsel

Date: 08.12.2021
Place: New Delhi

RESPONDENT


(VIBHAV MISHRA)
Advocate

Ch No.: 221, CK Daphtary Block,
Tilak Lane, Supreme Court of India
(M): 9473565666, 9811828487
(e): vibhavamishra@outlook.in




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण


भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2017/92002/92612

Download Date: 26/05/2019

To
 वेद प्रकाश अगारवाल
 Ved Prakash Aggarwal
 S/O: Raghubar Dayal
 C-16
 sector 3 chiranjeew vihar
 Ghaziabad
 Kavi Nagar
 Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002
 9873084288

Generation Date: 03/10/2015



QR Code with Photograph

आपका **आधार** क्रमांक / Your **Aadhaar** No. :

xxxx xxxx 0276

VID : 9142 1983 5194 6749

मेरा **आधार**, मेरी पहचान



भारत सरकार

Government of India



वेद प्रकाश अगारवाल
 Ved Prakash Aggarwal
 जन्म तिथि/DOB: 20/08/1965
 पुरुष/ MALE



xxxx xxxx 0276

VID : 9142 1983 5194 6749

मेरा **आधार**, मेरी पहचान




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

सूचना

- **आधार** पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं |
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन द्वारा प्राप्त करें |
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है |

INFORMATION

- **Aadhaar** is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

- **आधार** देश भर में मान्य है ।
- **आधार** भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा ।
- **Aadhaar** is valid throughout the country .
- **Aadhaar** will be helpful in availing Government and Non-Government services in future .




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
 आत्मज: रघुबर दयाल, सी-16, सेक्टर 3 चिरंजीव विहार,
 गाजियाबाद, गाजियाबाद,
 उत्तर प्रदेश - 201002

Address:
 S/O: Raghubar Dayal, C-16, sector 3
 chiranjeew vihar, Ghaziabad, Ghaziabad,
 Uttar Pradesh - 201002



QR Code with Photograph

xxxx xxxx 0276

VID : 9142 1983 5194 6749





help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

objection report file before hon`ble NGT In OA 989 of 2019.

From: Ved Aggarwal (ved_aggarwal016@yahoo.co.in)

To: vibhavamishra@outlook.in; gzb.nagarnigam@gmail.com

Date: Thursday, 13 January, 2022, 05:34 pm IST

Sir,

please find the attachment.

kind regards.

ved prakash aggarwal

mobile No 9873084288



objection report.pdf
6.1MB